

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- २१७/२०२१

—: आदेश :—

दिनांक :- ०१-१२-२०२१

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१.	तातीजा	२०७६-७९	२५०	गोकुलराम पुत्र काना	गोकुलचन्द पुत्र कानाराम

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी।

५१

(जय सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी.

क्रमांक :- राजस्व/२०२१/६९५  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- ०१-१२-२०२१

१. तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
२. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

बिलूराम पुत्र गोकुलचन्द जाति गुर्जर  
निवासी तातीजा।

उपखण्ड अधिकारी  
खेतड़ी (राज.)